रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23042025-262627
CG-MH-E-23042025-262627

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2025/वैशाख 2, 1947
No. 309] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2025/VAISAKHA 2, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 22 अप्रैल, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/242.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में,-

   (1) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ड) में, चिह्नों, शब्दों तथा अंकों " "समूह कंपनियाँ" से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) में यथा परिभाषित समूह कंपनियाँ अभिप्रेत है" के स्थान पर चिह्न, शब्द तथा अंक " "समूह कंपनियों" का अर्थ है – वे

कंपनियाँ, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 [सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2018] में दी हुई परिभाषा के अनुसार समूह कंपनियाँ हों" आ जाएँगे;

(2) विनियम 28ख में, उप-विनियम (1) में,

(क) खंड (ङ) में, शब्द "और" हट जाएगा;

(ख) खंड (च) में, चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ";" आ जाएगा; और

(ग) खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(छ) "ग्राहक करेगा अदा वाले बिजनेस मॉडल" का अर्थ है – एक ऐसा बिजनेस मॉडल, जिसमें ईएसजी रेटिंग प्रदाता (प्रोवाइडर) को अपने ग्राहकों (सब्स्क्राइबर) [जो बैंक हो सकते हैं, बीमा कंपनियाँ हो सकती हैं, पेंशन फंड हो सकते हैं, या वही एंटिटी हो सकती है जिसकी रेटिंग की जा रही हो] को ईएसजी रेटिंग प्रदान करके आमदनी हो ।";

(3) विनियम 28ज में, खंड (छ) में,

(क) चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा;

(ख) निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि इन विनियमों में दी हुई कोई भी बात किसी ईएसजी रेटिंग प्रदाता (प्रोवाइडर) को वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक (रेग्यूलेटर) या किसी प्राधिकरण (अथॉरिटी) [जिसके बारे में बोर्ड बताए] के संबंधित दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) के तहत किसी प्रोडक्ट या इश्युअर (निर्गमकर्ता) की ईएसजी रेटिंग करने से नहीं रोकेगी ।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनार्थ,-

(क) वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक (रेग्यूलेटर) या प्राधिकरण (अथॉरिटी) के संबंधित दिशानिर्देशों के तहत ईएसजी रेटिंग प्रदाता (प्रोवाइडर) द्वारा की गई ईएसजी रेटिंग वित्तीय क्षेत्र के संबंधित विनियामक (रेग्यूलेटर) या प्राधिकरण (अथॉरिटी) के दायरे में आएँगी;

जो एंटिटी बोर्ड के विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में आने वाले प्रोडक्ट या इश्युअर की ईएसजी रेटिंग न करना चाहती हो, उसके लिए बोर्ड से रजिस्टर होना जरूरी नहीं होगा ।";

(4) विनियम 28ट में,

(क) खंड (थ) में, शब्द "और" हट जाएगा;

(ख) खंड (द) में, चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न "; और" आ जाएगा; और

(ग) खंड (द) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(ध) अपनी वेबसाइट पर यह बताएगा कि वह जिस-जिस प्रोडक्ट या इश्युअर को ईएसजी रेटिंग प्रदान करने का कार्य कर रहा है, वह वित्तीय क्षेत्र के किस विनियामक (रेग्यूलेटर) या प्राधिकरण (अथॉरिटी) के दायरे में आता है, और उसे वित्तीय क्षेत्र के उस विनियामक (रेग्यूलेटर) या प्राधिकरण (अथॉरिटी) के दायरे में आने वाले लागू कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा ।";

(5) विनियम 28ट के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"**28टक.** जिस ईएसजी रेटिंग प्रदाता (प्रोवाइडर) का "ग्राहक करेगा अदा वाला बिजनेस मॉडल" हो, वह यह सुनिश्चित करेगा कि:

(क) दी गई ईएसजी रेटिंग केवल उसी जानकारी के आधार पर दी जाए, जो आम तौर पर उपलब्ध हो;

(ख) यदि –

(i) जिस एंटिटी या इश्युअर की रेटिंग की जानी हो, वह खुद ही ग्राहक (सब्स्क्राइबर) हो; या

(ii) जिस एंटिटी की या जिस एंटिटी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की ईएसजी रेटिंग की जानी हो, उस एंटिटी की समूह (ग्रुप) कंपनी या सहयोगी (असोसिएट) ही ग्राहक (सब्स्क्राइबर) हो,

तो ऐसे में इन ग्राहकों द्वारा अदा की जाने वाली फीस दूसरे सभी ग्राहकों द्वारा अदा की जाने वाली या अदा की गई फीस की तुलना में सबसे कम होगी;

(ग) जिस एंटिटी की या जिस एंटिटी द्वारा जारी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की ईएसजी रेटिंग की जा रही हो, उसकी केवल वही समूह (ग्रुप) कंपनियाँ या उसके वही सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) ईएसजी रेटिंग लेने के लिए ग्राहक बन सकेंगे, जिन्हें अपने कारोबार के लिए वह ईएसजी रेटिंग लेने की जरूरत हो और जो वित्तीय क्षेत्र के विनियामक (विनियामकों) के विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में आते हों:

परंतु यह कि इस तरह से ग्राहक बनकर सेवाएँ लेने की वजह से हितों में कोई टकराव (हित-विरोध) न हो अथवा किसी भी वजह से कोई गलत इस्तेमाल न हो या ऐसा कुछ भी होने की संभावना न हो ।

स्पष्टीकरण.- इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "सहयोगी" (सहयुक्त / असोसिएट) का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में दिया हुआ है ।"

(6) विनियम 28ठ में, उप-विनियम (1) में, खंड (ञ) में, परंतुक के बाद, निम्नलिखित दूसरा परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि जिस ईएसजी रेटिंग प्रदाता (प्रोवाइडर) का "ग्राहक करेगा अदा वाला बिजनेस मॉडल" हो, वह:

(i) अपने ग्राहकों (सब्स्क्राइबर) के साथ और जिस एंटिटी की रेटिंग की गई हो या जिस इश्युअर की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की रेटिंग की गई हो, उसके साथ ईएसजी रेटिंग की रिपोर्ट एक ही समय साझा करेगा, और जिस एंटिटी या इश्युअर की रेटिंग की गई हो उसे अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए दो कार्य-दिवसों का समय देगा;

(ii) जिस एंटिटी की रेटिंग की गई हो उस एंटिटी से निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त हर टिप्पणी या स्पष्टीकरण ईएसजी रेटिंग की रिपोर्ट में संलग्नक के तौर पर शामिल करेगा और ईएसजी रेटिंग की रिपोर्ट में दिए गए डाटा आदि के लिहाज से उस एंटिटी या इश्युअर का नज़रिया अलग हो जिसकी रेटिंग की जा रही हो, तो ऐसे में ईएसजी रेटिंग प्रदाता (प्रोवाइडर) उसके नज़रिये पर गौर करने के बाद या तो ईएसजी रेटिंग की रिपोर्ट में संशोधन करेगा या फिर ईएसजी रेटिंग की रिपोर्ट के संबंध में अलग से एक संलग्नक जारी करेगा, जिसमें वे टिप्पणियाँ भी देगा जो ईएसजी रेटिंग प्रदाता (प्रोवाइडर) को उचित लगें, और इस तरह बदलाव करने के बाद रिपोर्ट अपने सभी ग्राहकों (सब्स्क्राइबर) को भेजेगा;

(iii) जिस एंटिटी की रेटिंग की जाए या जिस इश्युअर की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की रेटिंग की जाए, उसके साथ और ग्राहकों (सब्स्क्राइबर) के साथ ईएसजी रेटिंग की रिपोर्ट साझा करने की नीति अपनी वेबसाइट पर डलवाएगा; और

(iv) जिस एंटिटी की रेटिंग की जाए या जिस इश्युअर की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की रेटिंग की जाए उसके लिए एक ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाएगा, जिसके जरिए वह कोई स्पष्टीकरण माँग सकेगा, ईएसजी रेटिंग की पद्धति के बारे में जान सकेगा या यह जान सकेगा कि ईएसजी रेटिंग किस आकलन के आधार पर की गई है ।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./42/2025-26]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 भारत के राजपत्र में प्रकाशित तारीख 7 जुलाई 1999 के का.आ. सं. 547(अ) के तहत जारी हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 तत्पश्चात्-

   क. 28 मार्च 2000 को का.आ. सं. 278(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 द्वारा

   ख. 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476(अ), द्वारा

   ग. 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा

   घ. 19 फरवरी 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 203(अ), द्वारा

   ङ. 1 अक्तूबर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 1160(अ), द्वारा

   च. 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा

   छ. 7 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1454(अ), द्वारा

   ज. 26 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा

   झ. 19 मार्च 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2009-2010/30/199044, द्वारा

   ञ. 13 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा

   ट. 5 जुलाई 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/10/21232, द्वारा

   ठ. 27 दिसम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/31/39022, द्वारा

   ड. 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

   ढ. 8 दिसम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा

   ण. 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा

त. 30 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018-15, द्वारा

थ. 11 सितम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/36, द्वारा

द. 23 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/34, द्वारा

ध. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा

न. 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23, द्वारा

प. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/29, द्वारा

फ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

ब. 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2022/69, द्वारा

भ. 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन)] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/115, द्वारा

म. 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/136, द्वारा

य. 4 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा

यक. 8 जुलाई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/191, द्वारा

यख. 28 नवम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दस्तावेजों को प्रमाणित करना) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/212, द्वारा

यग. 21 मार्च, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2025, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/236, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

******

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd April,s 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (CREDIT RATING AGENCIES) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/242.—In exercise of the powers conferred under section 30 read with sections 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby

makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2025.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, ─

(1) in regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (m), the words "Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969)" shall be substituted with the words "Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018";

(2) in regulation 28B, in sub-regulation (1),

(a) in clause (e), the word "and" shall be omitted;

(b) in clause (f), the symbol "." shall be substituted with the symbol ";"; and

(c) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely, -

"(g) "subscriber-pays business model" means a business model where the ESG rating provider derives its revenues from ESG ratings from subscribers including banks, insurance companies, pension funds, or the rated entity itself.";

(3) in regulation 28H, in clause (g),

(a) the symbol "." shall be substituted with the symbol ":";

(b) the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that nothing contained in these regulations shall preclude an ESG rating provider from carrying out ESG rating of products or issuers under the respective guidelines of a financial sector regulator or any authority as may be specified by the Board.

Explanation. ─ For the purposes of this clause, -

(a) the ESG ratings undertaken by an ESG Rating Provider under the respective guidelines of a financial sector regulator or authority shall be under the purview of the respective financial sector regulator or authority;

(b) an entity that does not propose to undertake ESG rating of products or issuers regulated by the Board may not be required to seek registration with the Board.";

(4) in regulation 28K,

(a) in clause (q), the word "and" shall be omitted;

(b) in clause (r), the symbol "." shall be substituted with the word and symbol "; and"; and

(c) after clause (r), the following clause shall be inserted, namely, -

"(s) state on its website the financial sector regulator or authority under whose purview it undertakes ESG ratings for each product or issuer and shall comply with the applicable laws administered by such financial sector regulator or authority.";

(5) after regulation 28K, the following regulation shall be inserted, namely, –

"**28KA.** An ESG rating provider following a subscriber-pays business model shall ensure that:

(a) the ESG rating assigned is based only on publicly available information;

(b) The fee paid by the subscriber is the lowest fee payable or paid amongst all the subscribers, if:

(i) the rated entity or issuer is a subscriber itself; or

(ii) the group company or associate of an entity is a subscriber to the ESG rating of such entity or the securities issued by such entity;

(c) only group companies or associates, of an entity, whose core business requires ESG ratings of such entity or the securities issued by such entity, and are regulated by financial sector regulator(s) may subscribe to the ESG rating:

Provided that by such subscription, there shall be no conflict of interest or any potential or actual abuse or misuse.

Explanation.— For the purpose of this regulation, "associate" shall have the same meaning as defined under the Companies Act, 2013 (18 of 2013).";

(6) in regulation 28L, in sub-regulation (1), in clause (j), after the proviso, the following second proviso shall be inserted, namely, -

"Provided further that an ESG rating provider following a subscriber-pays business model shall:

(i) share the ESG rating report with its subscribers and the rated entity or the issuer whose securities have been rated at the same time and provide two working days to such rated entity or the issuer to provide its comments;

(ii) all comments or clarifications received from the rated entity within the specified timeline shall be included in the addendum to the ESG rating report by the ESG rating provider and if the rated entity or the issuer has a different viewpoint on the data or assumptions stated in the ESG rating report, the ESG rating provider, after taking into account the said viewpoint, shall either revise the ESG rating report or issue an addendum to the ESG rating report with its remarks, for circulation to all its subscribers, as considered appropriate by the ESG rating provider;

(iii) disclose the policy regarding sharing of ESG rating report with the rated entity or the issuer whose securities have been rated and the subscribers on its website; and

(iv) provide a facility to the rated entity or the issuer whose securities have been rated to seek any clarification, including the ESG rating methodology or assumptions.".

BABITHA RAYUDU, Exe. Director

[ADVT.-III/4/Exty./42/2025-26]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 were issued under S.O. No. 547 (E) dated July 7, 1999 published in the Gazette of India.
2. The Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 were subsequently amended on—
    a. March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 published in Official Gazette vide S.O. No. 278(E).
    b. May 29, 2001, by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) (Regulations), 2001 vide S.O. No. 476 (E).
    c. September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. No.1045 (E).
    d. February 19, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 203 (E).
    e. October 1, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 1160 (E).
    f. March 10, 2004 by Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S. O. No. 398 (E).
    g. September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2006 vide S. O. No. 1454(E).

h. May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide no. LAD/ NRO/GN/2008/11/126538.

i. March 19, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2010 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2009-2010/30/199044.

j. April 13, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/ NRO/ GN/ 2011- 12/03/12650.

k. July 5, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/10/21232.

l. December 27, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/31/39022.

m. May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2014 vide notification no. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.

n. December 8, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/023.

o. March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38 dated March 29, 2017.

p. May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018-15.

q. September 11, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/36.

r. September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2019 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/34.

s. April 17, 2020 by the by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

t. May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.

u. August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/29.

v. August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

w. January 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2022, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/69.

x. January 17, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.

y. July 3, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2023, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/136.

z. July 4, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD–NRO/GN/2023/137.

za. July 8, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2024, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/191.

zb. November 28, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Attestation of Documents)

(Amendment) Regulations, 2024, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/212.

zc. March 21, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/236.

******

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.